न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसौलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 35 / 2025

1. भूपेन्द्र सिंह
2. वीरेन्द्र सिंह
3. मनोज सिंह पिसरान पदमसिंह जाति जाटव निवासी बसैरी तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. पदमसिंह पुत्र पूरन
2. संजयसिंह पुत्र पदमसिंह जाति जाटव निवासी बसैरी तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—15.12.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1002 / 0.16, 1149 / 217 / 0.10, 1154 / 734 / 0.10, 1155 / 989 / 0.09है0 बाके ग्राम बसैरी तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वय अर्जित आराजी नहीं है बल्कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पुरखों की छोडी हुई पुस्तैनी जायदाद है। जिसमे हम प्रार्थीगण के पिता पूरन का कर्ताखानदान का होने के कारण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो रहा है। उक्त विवादित आराजी पुस्तैनी होने के कारण हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के विवादित जायदाद में जन्म लेते ही अधिकार पैदा हो जाते है। उक्त विवादित आराजी को हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अब तक शामिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता पूरन सिंह को नशे आदि के बुरे व्यसन पैदा हो गये है जो कि अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आकर हम प्रार्थीगण के हिस्से को बेचान करने पर तुले हुये है जो हम प्रार्थीगण से बेवजह रंजिश रखते है और अपने पिता होने के अधिकारों को निभाने में पूर्णतः असफल रहे है और दिनांक 28.10.2025 को स्पष्ट तौर पर धमकी दी है कि मैं उक्त विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को अपने जीते जी रहन वय मुन्तकिल करके तुम्हारे हिस्से को बेदखल कर दूंगा। अप्रार्थी असल ने प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को मानने से इन्कार कर दिया है इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद कराया जाना आवश्यक हो गया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपु

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सच्चाई को छिपाते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जबकि उक्त आराजी मुझ अप्रार्थी को विधिक तरीके से प्राप्त हुई है एवं मुझ अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी है जिस पर अप्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा एवं काश्त नहीं रही है। मुझ अप्रार्थी ने सन् 2009 में प्रार्थीगण की शादी की थी एवं शादी में मुझ अप्रार्थी ने आठ लाख रूपये खर्च किये थे तथा शादी के उपरान्त प्रार्थीगण अपनी पत्नियों को लेकर न्यारे हो गये तथा उक्त आठ लाख रूपये का मुझ अप्रार्थी पर कर्जा बना रहा उसके अलावा मुझ अप्रार्थी पर किसान केडिट कार्ड का एक लाख रूपये का कर्ज था मैं अप्रार्थी बुर्जुग एवं बीमार व्यक्ति हूँ साथ ही मैने अप्रार्थी संख्या 2 जो कि मेरा छोटा पुत्र है कि शादी सन् 2025 में की थी उसकी शादी का मुझ अप्रार्थी पर कर्ज है एवं मैं अप्रार्थी बुर्जुग एवं बीमार व्यक्ति हूँ मेरे पास उक्त आराजी के अलावा आय का अन्य कोई साधन नहीं है एवं प्रार्थीगण अपने पुत्र धर्म की पालना में असफल रहे है जिनका मेरी खातेदारी की आराजी में मेरे कर्ज को चुकाये बिना कोई हक एवं अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के बाबा पूरन की छोडी हुई पैत्रिक आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण के जन्म लेते ही अधिकार निहित होते है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सम्मिलित होकर काश्त कर रहे। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित आराजी को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करना चाहता है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी को विधिक तरीके से प्राप्त हुई जिस पर अप्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण की कभी कोई सम्मिलित कब्जा काश्त नहीं रही है एवं अप्रार्थी के पास उक्त आराजी के अलाबा आय का कोई अन्य साधन नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी के कर्ज को चुकाये बिना उक्त विवादित आराजी में कोई हक एवं अधिकार पैदा नहीं होते है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी वाद कारण के पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निबेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2065–68 एवं जमाबंदी सम्वत् 2075–78 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के बाबा पूरन की छोडी हुई आराजी है। चुकिं आराजी विवादित पैत्रिक संम्पत्ति है उक्त जायदाद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 को जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाते है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त विवादित आराजी का अंतरण अन्यत्र कहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण के हकों पर विपरीत प्रभाव पडना संभावित है। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
डीग (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला बाद इस अम्र की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1002/0.16, 1149/217/0.10, 1154/734/0.10, 1155/989/0.09है0 बाके ग्राम बसैरी तहसील उच्चैन में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned by CamScanner